

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

71

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अरवल /नालन्दा(बिहारशरीफ)।

पटना, दिनांक :-

7-12-15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तराज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	अरवल	05	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	500000/-	जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-101/सा०सु०को० दिनांक 20.05.15 के आलोक में (1) स्व० संजय कुमार, आश्रित मु० इन्दु देवी(पत्नी) ग्राम-करपी, प्रखण्ड- करपी, जिला-अरवल (2) स्व० विभीषण कुमार, आश्रित सुदर्शन साव(पिता) ग्राम-हाजीपुर, प्रखण्ड-करपी, जिला- अरवल (3) स्व० प्रभात कुमार, आश्रित निशि प्रभा देवी (पत्नी) ग्राम-सुरजमल विगहा, प्रखण्ड- सोनभद्रवंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल (4) स्व० वसंत सिंह, आश्रित जीरामनी देवी (पत्नी) ग्राम-जोन्हा, प्रखण्ड- सोनभद्रवंशी सूर्यपुर, जिला-अरवल (5) मो० अब्बास अंसारी, आश्रित रूखसाना खातुन (पत्नी) ग्राम-गंगापुर, प्रखण्ड-कुर्था, जिला-अरवल के भुगतान हेतु।
2	नालन्दा (बिहारशरीफ)	04	तदैव	400000/-	जिला पदाधिकारी, नालन्दा का पत्रांक 1231 दिनांक- 16. 03.15 के आलोक में (1) स्व० बालेश्वर प्रसाद आश्रित मुसो० सुनैना देवी (पत्नी), ग्राम- करियन्ना पो०+थाना-सिलाव, जिला-नालन्दा (2) स्व० पंचम शर्मा उर्फ ठाकुर, आश्रित श्री अरूण ठाकुर (पिता) ग्राम-प्रसडिहा, पंचायत-भुतहाबाजार, नगरनौसा जिला- नालन्दा (3) स्व० चंदन कुमार, आश्रित श्री उमेश पंडित (पिता) ग्राम-श्रीरामचक, पंचायत-गोरायपुर, नगरनौसा जिला-नालन्दा (4) स्व० लालू कुमार, आश्रित श्री प्रदीप यादव(पिता) ग्राम-कान्दोपुर, थाना-गिरियक, जिला-नालन्दा के भुगतान हेतु ।
	कुल	09		900000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 9,00,000/- (रूपये नौ लाख) मात्र ।

• अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

4. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

5. यह आवंटन योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र०सं०-

71

पटना, दिनांक

7-12-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/20145 श्र०सं०-

71

पटना, दिनांक-

7-12-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-217 (श्रमपक्ष) दिनांक-24.11.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।